प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर**

**विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं .78/2022**

(दावा प्रकरण क्रमांक 1164/2019 में 8 वें अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बिलासपुर द्वारा पारित दिनांक 6-12-2021 के अधिनिर्णय से उत्पन्न)

---

**1. श्रीमती. सीता बाई राजपूत, पति कालेश्वर प्रसाद राजपूत, लगभग 34 वर्ष,**

**2. कालेश्वर प्रसाद राजपूत, पिता भीखम सिंह राजपूत, 49 वर्ष ,**

**दोनों संतोषी मंदिर के पास, थाना तोरवा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं।**

**(दावाकर्ता)**

**---अपीलकर्ता**

**बनाम**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**1. अश्विनी राजपूत, पिता रमेश राजपूत, 17 वर्ष, निवासी गाँव मंडीपारा सरधा, थाना लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़।(दुर्घटनाग्रस्त वाहन होंडा सी. बी. शाइन का चालक सं.छ.ग.-28/जे-7651)(चालक)**

**2. रमेश राजपूत, पिता श्री राम राजपूत, 41 वर्ष, निवासी ग्राम मंडीपारा सरधा, थाना लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़।(दुर्घटनाग्रस्त वाहन होंडा सी. बी. शाइन सं.छ.ग.-28/जे-7651 का मालिक)(मालिक)**

**3.द लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा प्रबंधक के द्वारा, पता मित्तल कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल, एस. टी. बैंक के बगल में, व्यापार विहार, थाना तारबहार, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़।(दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमाकर्ता होंडा सी. बी. शाइन सं छ.ग.-28/जे-7651 )**

(बीमाकर्ता)

**---उत्तरवादीगण**

---

**अपीलकर्तागण हेतु** :--श्री शुभंक तिवारी, अधिवक्ता।

**उत्तरवादीगण हेतु** :--कोई उपस्थित नहीं है।

---

**माननीय श्री संजय के. अग्रवाल,न्यायाधीश**

## पीठ पर आदेश

**17/07/2025**

1. इस अपील में शामिल संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या दावा न्यायाधिकरण द्वारा बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त करना तथा पहले भुगतान करो और फिर वाहन के मालिक से वसूल करने के सिद्धांत को लागू न करना सही है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह एवं अन्य 1** के मामले में और तत्पश्चात **शमन्ना एवं अन्य बनाम डिवीजनल मैनेजर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य 2** के मामले में निर्णय दिया था?

2. दावा याचिका दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई थी और विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने उचित जांच के बाद, दावाकर्ता को ₹ 13,65,080/– का क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया, लेकिन बीमा कंपनी –उत्तरवादी संख्या 3 को इस आधार पर दायित्व से मुक्त कर दिया कि चालक – उत्तरवादी संख्या 1 अपराध दिनांक पर नाबालिग था और इसलिए बीमा कंपनी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. यहां अपीलकर्ताओं/ दावाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शुभांक तिवारी ने प्रस्तुत किया कि **जवाहर सिंह बनाम बाला जैन एवं अन्य 3** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के तहत, बीमा कंपनी उत्तरदायी है और दावा न्यायाधिकरण बीमा कंपनी को दायित्व से मुक्त नहीं कर सकता था और भुगतान और वसूली के सिद्धांत को लागू कर सकता था जैसा कि **स्वर्ण सिंह के मामले (सुप्रा)** में अभिनिर्धारित किया गया था, जिसका **अनुसरण शमन्ना (सुप्रा)** में किया गया था।हालांकि उत्तरवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं था, लेकिन उन्हें तामिलि की गई।

5. मैंने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा उनकी ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

6. यह सत्य है कि दावा न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय के कंडिका 23 और 24 में स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि उत्तरवादी संख्या 1 अपराध दिनांक और समय पर नाबालिग था और वह दुर्घटनाग्रस्त वाहन चला रहा था और इस प्रकार, बीमा पॉलिसी के उल्लंघन के संदर्भ में वाहन चलाया जा रहा था और चूंकि वह नाबालिग था, इसलिए भुगतान और वसूली का सिद्धांत लागू नहीं होगा जो **जवाहर सिंह (सुप्रा)** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विपरीत है जिसमें कंडिका14 में निम्नानुसार निर्णय दिया गया था:–––

**"14. हम इस तथ्य से मुँह नहीं मोड़ सकते कि जतिन ही मोटरसाइकिल पर पीछे से आया था और उसने मृतक के स्कूटर को पीछे से टक्कर मार दी।अतः, दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जतिन ही ज़िम्मेदार पाया गया। हालाँकि, चूँकि जतिन नाबालिग था और यह सुनिश्चित करना याचिकाकर्ता की ज़िम्मेदारी थी कि उसकी मोटरसाइकिल का दुरुपयोग न हो, वह भी किसी ऐसे नाबालिग द्वारा जिसके पास मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस नहीं था, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने उचित ही क्षतिपूर्ति के भुगतान का दायित्व**

**याचिकाकर्ता पर डाला और तदनुसार, बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह क्षतिपूर्ति की राशि क्षतिपूर्ति पाने वालों को दे और उसके बाद, उसे याचिकाकर्ता से वसूल करे।उक्त प्रश्न पर न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया और सही ढंग से निर्णय दिया गया।उच्च न्यायालय ने उचित रूप से इसमें हस्तक्षेप नहीं करने का निर्णय किया।"**

7. इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि यह सुनिश्चित करना मालिक का कर्तव्य था कि उसके वाहन का दुरुपयोग न हो और वह भी किसी नाबालिग द्वारा, जिसके पास वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं था, इसलिए बीमा कंपनी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।इस मामले के तहत, **स्वर्ण सिंह मामले (सुप्रा)** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, यह साबित करने का दायित्व हमेशा बीमा कंपनी का होता है कि चालक वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ वाहन चला रहा था और उसे ठोस सबूतों के साथ उल्लंघन को साबित करना होता है, देयता से बचने और तीसरे पक्ष को उत्तरदायी बनाने के लिए बीमा कंपनी द्वारा शर्त का उल्लंघन दिखाया जाना चाहिए।**स्वर्ण सिंह मामले (सुप्रा)** में दिए गए निर्णय का **शमन्ना (सुप्रा)** में अनुमोदन के साथ पालन किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, हालांकि चालक नाबालिग था, लेकिन यह मालिक का कर्तव्य था कि वह देखे कि उसके वाहन का दुरुपयोग न हो, दूसरे शब्दों में, यह सुनिश्चित करे कि नाबालिग उसका वाहन न चलाए।मामले के इस दृष्टिकोण से, आक्षेपित निर्णय को आंशिक रूप से इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि निर्णय की राशि का भुगतान सबसे पहले बीमा कंपनी द्वारा इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा और उसके बाद, इसे वाहन के मालिक से वसूल किया जाएगा

9. उपर्युक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, अपील लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना अंतिम रूप से निराकरण किया जाता है।

**सही/–**

**(संजय के. अग्रवाल)**

**न्यायाधीश**

**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

***अस्वीकरणः*** *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur